

28.12.17.

वकील ~~अर्चना~~ गर्गी ने एक पत्र
पत्र पेश कर प्रकरण में स्थगनकोश
जारी करने का निवेदन कर मिश्र
लखी का पत्र पेश दिख जिसपर
मिश्र लखी के पेश हुई। अर्चना
काद्यिका उपस्थित के निवेदन दिख
दि ग्राम मिश्राला ०० ०० मिश्राला की
का नं० ~~2687~~ 2687/2290 का नं० 2862/2290

रकबा 9.00 ग्राम स्थित है जिसपर अर्चना
व विपक्षी का दबा लेकर अपमोग उप-
मोग कर रहे हैं। विपक्षी मोरे पर माघे
के लड़ाई शरणा करते हैं और अर्चना से
उसके लड़ काद्यिकारो के वंचित कर ग्राम
से बंधक करने पर आमादा है। अर्चना
जरा एक वाद घोषणा का रूप न्यायालय
में विचाराधीन है जिसमें न्याय निर्णय में
समय लगाने की संभावना है। एक प्रकरण
में विपक्षीगण से स्विच स्थगन जारी दिख
जाता उचित है।

वकील गर्गी की वरस पर मजबूत
दिखावत। न्यायालय में वादपत्र निस्तारण
लड़ विपक्षी से। जो अर्चना निषेधात्मक से
पाबन्त दिखाना है दि मोरे की यथा स्थिति
अपमोग करके लख अर्चना से अपमोग उपमोग में
दिख प्रकार से आधा उत्पन्न नहीं है एवं



सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्व

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला- राजसमन्द

क्रमांक _____ विपक्षी _____ पद _____
 किस मुकदमा _____ पत्रावली संख्या _____

क्रमांक	कार्यवाहक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनाएं जारी की गई
	<p> वादगुस्त आराजिघात के डिस्पी अन्य के अन्तर्गत नहीं है। विपक्षी सं. २ को वाबन्द डिशाजाला के डि उक्त वादगुस्त आराजिघात का कोई दस्तावेज पंजियन हेतु प्रेषित है जो उत्तरा पंजियन नहीं है। वादपत्र के निस्तारण तक रोक की मर्यादा स्थित की जायेगी। पत्रावली क्रमांक शुमार के नम्बर से इस की जाकर मूल वाद के लाभ संलग्न की जाये। </p>	<p style="text-align: right;"> सहायक कलेक्टर देवगढ़, जिला-राजसमन्द </p>